THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur 302005
Phone: 0141-2227267 * Fax 0141-2227257
Website: Industries. Rajasthan. Gov.in/rajsico
E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

कीमत रू. एक सौ मात्र

परिशिष्ट–ब

वेण्डर रजिस्ट्रेशन फार्म

अनुमोदन के आधार पर खरीद एवं बिक्री हेतु।

रजिस्ट्रेशन राशि रू 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) एक मुस्त (न लौटाने योग्य) सामान रख–रखाव शर्त संख्या–6 के अनुसार प्रतिमाह वेण्डर देय होगी।

1.	क्राफ्ट का नाम	
2.	हस्तशिल्पी का नाम	
3.	हस्तशिल्प इकाई का नाम	
4.	विकास आयुक्त हस्तशिल्प अथवा जिला उद्योग केन्द्र का रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
5.	पूरा पता	
6.	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	
7.	दूरभाष	
8.	उम्र	
9.	क्या आप राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं यदि हॉ तो प्रति संलग्न करें ?	
10.	क्राफ्ट का संक्षिप्त विवरण	
11.	इकाई में कार्यरत शिल्पियों की संख्या	
12.	पूर्व अनुभव	
13.	मासिक उत्पादन क्षमता राशि रूपयें में	

दिनांक   आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

रसीद संख्या .... दिनांक .... राशि रू ....

हस्ताक्षर रोकडिया   उप कनिष्ट प्रबन्धक/लेखाकार   लेखाधिकारी

वेण्डर कोड नम्बर SAR-   आवंटित किया गया।

क्षेत्रिय उपार्जन निरीक्षक / उप कनिष्ट प्रबन्धक   स. महा प्रबन्धक

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur 302005
Phone: 0141-2227267 * Fax 0141-2227257
Website: Industries. Rajasthan. Gov.in/rajsico
E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निगम के हस्तशिल्प विक्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु एप्रुवल के आधार पर सामान क्रय करने व न बिकने पर वापिस करने की व्यवस्था के संबंध में शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. हस्तशिल्पी / इकाई अपना सामान राजस्थली, व्यवस्थापक / प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। व्यवस्थापक / प्रभारी सामान का चयन कर सूची अपनी टिप्पणी एवं सामान के विवरण के साथ मुख्यालय को अग्रेसित करेगें।
2. वेण्डर रजिस्ट्रेशन मुख्यालय स्तर पर होगा। यदि आवश्यक होगा तो समान का नमूना मुख्यालय में देखा जा सकता है।
3. चयनित आईटम आपूर्तिकता द्वारा राजस्थली विक्रय केन्दो पर सीधे रखे जावेगें। माल को पैक करने, बीमा कराने, भिजवाने, यातायात पर होने वाले समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता को ही वहन करने होगें।
4. माल की प्राप्ती पर पाये जाने वाली कमी, टूट–फूट अथवा अन्य कमियों के लिये आपूर्तिकर्ता स्वंय जिम्मेदार होगा।
5. राजस्थान से बाहर स्थित राजस्थली हेतु सामान भेजने पर क्षतिपूर्ति / इनसेन्टीव के रूप में निगम अपने मार्कअप / लाभांश में से 10 प्रतिशत हस्तशिल्पी को दे सकता है। अर्थात यदि किसी आईटम की क्रय दर 100 / – रू तो बिक्री के पश्चात् उसकी कीमत 10 प्रतिशत इनसेन्टीव मिला कर 110 / – का भुगतान किया जावेगा।
6. एक मुस्त रजिस्ट्रेशन राशि रू. 10,000 / – के अतिरिक्त प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को क्रय दर पर उपलब्ध स्टोक के आधार पर निम्नानुसार हैण्डलिंग चार्जेज राशि देय होगी। जिस पार्टी द्वारा प्रस्तुत मासिक बिक्री के आधार पर दिये बिल में से कटौती की जायेगी। यदि किसी माह में पार्टी के सामान की बिक्री शुन्य अथवा देय हैण्डलिंग चार्ज राशि से कम होगी तो पार्टी को यह रकम आगामी माह की 10 तारीख तक नगद जमा करानी होगी।

क्र.स.	माह की अन्तिम तिथि को क्रय दर पर उपलब्ध स्टोक	हैण्डलिंग चार्जेज राशि
1.	रू. 25,000 / – तक	निशुल्क
2.	रू. 25,000 / – से 1,00,000 / – तक	रू. 5,00 / – प्रतिमाह

प्रति एक लाख से अधिक की राशि के स्टॉक पर हैण्डलिंग चार्जेज की गणना रू. 500 / – प्रति लाख की दर से देय होगा।

7. खराब सामान व अन्य सामान जो आपूर्तिकर्ता को लौटाया जाता है, उस पर होने वाले व्यय एवं पैकिंग खर्च आदि व्यय आपूर्तिकर्ता को वहन करने होगें।
8. यद्यपि रखे गये सामान की सुरक्षा की जावेगी, लेकिन यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, तो निगम की जिम्मेदारी नही होगी।
9. विक्रय केन्द्र में रखे सामान का आग व बर्गलरी का बीमा आपूर्तिकर्ता स्वंय के खचे पर करा सकता है।
10. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा जी.एस.टी के अन्तर्गत घोषित निर्देशों की पालना आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।
11. सर्विस टैक्स व अन्य कोई टैक्स यदि देय होता है, तो उसका भार आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।

12. निगम शिल्पी द्वारा आपूर्ति किये गये सामान की क्रय दर पर निर्धारित मार्कअप जोड कर सामान विक्रय करेगा। प्रत्येक माह के अन्त में संबंधित आपूर्तिकर्ता को विक्रय किये गये माल की सूचना दी जावेगी। सूचना के आधार पर आपूर्तिकर्ता को बिक्री हुये सामान का बिल क्रय दर पर प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
13. आपूर्तिकर्ता अपने सामान को उचित क्रय मूल्य पर प्रेषित करेगे। किसी माल की कीमत अधिक प्रतीत होती है, तो व्यवस्थापक विक्रय केन्द्र ऐसे सामान को अस्वीकृत कर लौटाने के लिये स्वतंत्र है।
14. आपूर्ति किये गये सामान की बिक्री संबंधी समस्त कार्यवाही निगम के कर्मचारीयों द्वारा सम्पादित की जावेगी। यदि प्रोडेक्ट वाइज ग्रुप ऑफ वेण्डर, स्पेशलाइज्ड बिक्री सहायक रखना चाहेगें तो व्यवस्थापक/प्रभारी की सहमति से रखा जायेगा, जिसका वेतन एंव भत्ते उन्ही के द्वारा देय होगा।
15. यदि आपूर्तिकर्ता के सामान के बारे में ग्राहकों की ओर से कोई शिकायत अथवा आपत्ति होती है, तो उस पर निगम को निर्णय अन्तिम होगा। यदि कोई सामान गुणवत्ता में कमी होने या अन्य किसी कारण से ग्राहक ने विक्रय केन्द्र को लौटाया है, तो उस पर विचार कर तथा माल में वास्तविक रूप से खराबी पाये जाने की दशा में आपूर्तिकर्ता को वापस लौटा दिया जायेगा। विक्रय किये गये माल की गुणवत्ता में कमी होने वाली क्षति के संबंध में समस्त दायित्व आपुर्तिकर्ता का होगा।
16. आपूर्तिकर्ता अपने सामान को निगम द्वारा क्रय करने से पूर्व विक्रय केन्द्र से वापस पूर्ण बकाया राशि आदि का चुकारा कर प्राप्त कर सकता है।
17. अस्वीकृत सामान सात दिवस में उठाना होगा। इसके पश्चात् निर्धारित स्टोरेज आदि वसूल किया जावेगा। एक माह की अवधि तक भी सामान नही उठाया गया, तो निगम को सामान निस्तारण/जब्त करने का अधिकार होगा।
18. आपूर्तिकर्ता सामान पर सिर्फ बताया गया प्रोडेक्ट टेग एवं वेण्डर कोड अंकित करेगे। अपना अथवा फर्म का नाम इत्यादि अंकित नही करेगें। बगैर प्रोडेक्ट टेग एवं वेण्डर कोड के सामान स्वीकार नही किया जावेगा। आप द्वारा आपके सामान पर प्रोडक्ट टेग लगाया जाना है। यदि आप राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त है तो टेग पर "A product by National/ State Awardee" का उल्लेख करें। अन्य लोग अपना वेण्डर कोड टेग पर दर्शा सकते है लेकिन अपना अथवा अपनी फर्म के नाम का उल्लेख सामान पर अथवा टेग पर बिल्कुल न करें।
19. चॉदी के सामान में टचं का प्रतिशत अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
20. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत/पंजीकृत समूह/क्लस्टर आदि को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेश महोदय द्वारा रियायत दी जावेगी।

उक्त शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

दिनांकः ....

हस्ताक्षर आवेदक

पूरा नामः ....

पताः ....

दूरभाषः ....